रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004 93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1993/कार्तिक 21, 1915
No. 398] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1993/KARTIKA 21, 1915

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1993

सा० का० नि० 705(अ) —केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहारों के संबंध में पेशगी देना) (संशोधन) विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है।

2 उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी

(त्यौहारों पर अग्रिम राशि प्रदान किए जाने के बारे में)

संशोधन नियमावली, 1993

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन न्यास का न्यासी मंडल उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (i) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहारों पर अग्रिम राशि दिए जाने के बारे में) नियमावली, 1993 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का नाम बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहारों पर अग्रिम राशि दिए जाने के बारे में) संशोधन विनियमावली, 1993 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार की संस्वीकृति के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहारों पर अग्रिम राशि दिए जाने के बारे में) विनियमावली, 1976 में—

(क) विनियम 2—परिभाषाएं—वाले वर्तमान खंड (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(क) "लेखा अधिकारी" का तात्पर्य वित्त सलाहकार और बोर्ड के प्रमुख लेखा अधिकारी तथा वित्त विभाग के ऐसे अधिकारियों से है जो इस विनियमावली के तहत अग्रिम राशि प्रदान किए जाने तथा उसकी वसूली के प्रयोजन के लिए वित्त सलाहकार और प्रमुख लेखा अधिकारी द्वारा पदनामित किए जाएं,

(ख) नियम 3—प्रयोग के विस्तार में—

(1) उप-नियम (1) में "और प्रति महीने आठ सौ साठ रुपये से अधिक वेतन न पाने वाले" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(2) उप-नियम (2) के उप-पैरा (i) और (ii) को निकाल दिया जाएगा और उप-पैरा (iii) से (vi) तक को पुनः (i) से (iv) के रूप में दर्शाया जाएगा।

(ग) नियम 6—अग्रिम राशि, में—"दो सौ रुपये" शब्दों को "अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाने वाली राशि", शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. पी आर – 12016/30/93 – पी ई – I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

फुट नोट :—प्रमुख विनियमावली, महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में दिनांक 24 जून, 1990 को प्रकाशित हुई थी और बाद के संशोधन भारत के राजपत्र में निम्नलिखित अनुसार प्रकाशित किए गए थे :—

(i) सा. का. नि. 324 दिनांक 4-3-1978

(ii) सा. का. नि. 1029 दिनांक 4-8-1979

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1993

G.S.R. 705(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Bombay Port Trust Employees (Grant of advances in connection with Festivals) (Amendment) Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Bombay and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

BOMBAY PORT TRUST EMPLOYEES (GRANT OF ADVANCES IN CONNECTION WITH FESTIVALS) AMENDMENT REGULATIONS, 1993

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Bombay, with the approval of the Central Government, under sub-section (1) of Section 124 of the said Act, hereby makes the following Regulations to amend the Bombay Port Trust Employees (Grant of Advances in connection with Festivals) Regulations, 1976, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Bombay Port Trust Employees (Grant of Advances in connection with Festivals) Amendment Regulations, 1993.

(2) They shall come into force on the date on which the Central Government's sanction is published in the Official Gazette.

2. In the Bombay Port Trust Employees (Grant of Advances in connection with Festivals) Regulations, 1976—

(A) in Regulation 2—Definitions—the existing clause (a) shall be substituted by the following :

(a) 'Accounts Officer' means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board and such officer(s) from the Finance Department as may be designated by the Financial Adviser & Chief Accounts Officer to regulate the grant and recovery of advances under these regulations.

(B) in Regulation 3—Extent of application.

(1) in sub-regulation (1), the words "and in receipt of pay not exceeding eight hundred and sixty rupees per mensem" shall be deleted.

(2) in sub-regulation (2), sub-paras (i) and (ii) shall be deleted and sub-paras (iii) to (vi) shall be re-numbered as (i) to (iv).

(C) in Regulation 6—Amount of advance—for the words "Rupees two hundred", the words "the amount as may be approved from time to time by the chairman" shall be substituted.

[No. PR-12016/30/93-PE. I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE :

Principal Regulation were published in the Maharashtra Government Gazette on 24th June, 1976 and subsequent amendment were published in the Gazette of India vide

(i) G.S.R. No. 324 dated 4th March, 1978.
(ii) G.S.R. No. 1029 dated the August, 1979

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993